कन्या भ्रूण हत्या :
एक जघन्य अपराध में जकड़ता सामाज

10

डा. विनोद कुमार*

आज हम 21 वीं सदी में रह रहे हैं ! जहां हर कोई दावा कर रहा है। मुक्त होने का, खुले दिमाग और परिवर्तन करने के लिए अनुकूलनीय मुक्त होने का। जहां चकाचौंध, ग्लैमर, विलासिता, मनोरंजन, मस्ती और स्वतंत्रता है। लेकिन यह सिर्फ आधी तस्वीर है अन्य आधा जहां शोकाकुल, भयानक और डरावना है। इस काफी आकर्शक दुनिया के बीच में, पीड़ा से भरी एक और दुनिया है। एक दुनिया जो किये केवल जीवित रहने के लिए कठिन संघर्श कर रही है। उन्हें भी जीने का मौका दिया जाना चाहिए। यह बालिका की दुनिया है। जो उम्मीद है अभी तक एक मलिन वादा है बालिका अभी तक दर्द में है। जो औरत एक सभ्यता के भविष्य को आकार देती है। वो ही औरत दूसरी औरत के असर से परहेज करती है। मानव अस्तित्व के वर्षों के बावजूद, एक लड़की बच्ची को अभी भी एक अभिशाप माना जाता है।

पूरी दुनिया लड़कियों और उनके अधिकारों की ऊची बातें कर रही है जबकि जहां हमारे जैसे देशों में बालिका को कम से कम महत्व दिया जाता है। भारतीय परिवार में अक्सर, एक लड़की बच्ची को एक दुर्भाग्य के रूप में देखा जाता है। जहां परिवारों में एक लड़के के जन्म पर आनन्दित लेकिन एक लड़की के जन्म पर शोक होते हैं। हमारे समाज में एक लड़की होना एक अभिशाप से कम नहीं है। लेकिन किसने इस भेदभाव के लिए प्रेरित किया ? क्यों बालिकाओं के लिए कोई जगह नहीं है ?

आज समाज में अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें एक जघन्य अपराध भ्रूण हत्या भी है। इस अपराध के पीछे इच्छित संतान है। इसे अंजाम देने के लिए वैज्ञानिक आविष्कार सहयोगी बने हैं। परिणामस्वरूप गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कराना और अनचाही संतान से छुटकारा पाना सहज हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने जबसे भ्रूण हत्या को क़ानूनी वैधता प्रदान की है, तबसे विष्व में भूण हत्याओं को क्रूर व्यापार निर्बाध गति से बढ़ रहा है। भगवान महावीर, बुद्ध एवं गांधी जैसे प्रेरकों के इस अहिंसा प्रधान देश में हिंसा का नया रूप भारतीय संस्कृति का उपहास है। भारत में क़रीब ढाई दशक पूर्व भ्रूण परीक्षण पद्धति की शुरुआत हुई, जिसे एमिनो सिंथेसिस नाम दिया गया। एमिनो सिंथेसिस का उद्देष्य है, गर्भस्थ शिशु के क्रोमोसोम्स के संबंध में जानकारी हासिल करना. यदि उनमें किसी भी तरह की विकृति हो, जिससे शिशु की मानसिक–षारीरिक स्थिति बिगड़ सकती हो तो उसका उपचार करना। लेकिन पिछले क़रीब दस–पंद्रह वर्षों से एमिनो सिंथेसिस राह भटक गया है. आज अधिकांश माता–पिता गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की चिंता छोड़कर भ्रूण परीक्षण केंद्रों में यह पता लगाते हैं कि वह लड़का है अथवा लड़की।

**Guest Faculty,, Dept of Sociology, Indraprasth College Meerut*

यह कटु सत्य है कि लड़का होने पर उस भ्रूण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, किंतु लड़की की इच्छा न होने पर उस भ्रूण से छुटकारा पाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब सवाल यह उठता है कि देवी स्वरूप, निस्वार्थ भाव से सुख–सुविधाओं का बलिदान करने वाली मां उस अजन्मे शिशु को मारने की स्वीकृति कैसे दे देती है? क्या उस बच्ची को जीने का अधिकार नहीं है? उस बेचारी ने कौन सा अपराध किया है ? यह कृत्य मानवीय दृष्टि से भी उचित नहीं है। प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है। किसी को जीने के अधिकार से वंचित करना पाप है। वैदिक धर्म में भ्रूण हत्या को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप बताया गया है। कहा गया है कि ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है, उससे दोगुना पाप गर्भपात से लगता है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। जैन दर्शन में भी इसे नरक की गति पाने का कारण माना गया है। आश्चर्य है कि धार्मिक कहलाने वाला और चींटी की हत्या से भी कांपने वाला समाज आंख मूंद कर कैसे भ्रूण हत्या कराता है! यह मानव जाति को कलंकित करने वाला अपराध है।

अमेरिका में 1994 में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें डॉ. निथनसन ने एक अल्ट्रासाउंड फिल्म (साइलेंट स्क्रीन) दिखाई। उसमें बताया गया कि 10–12 सप्ताह की कन्या की धड़कन जब 120 की गति में चलती है, तब बड़ी चुस्त होती है, लेकिन जैसे ही पहला औज़ार गर्भाशय की दीवार को छूता है तो बच्ची डर से कांपने लगती है और अपने आप में सिकुड़ने लगती हैं। औज़ार के स्पर्ष करने से पहले ही उसे पता लग जाता है कि हमला होने वाला है। वह अपने बचाव के लिए प्रयत्न करती है. औज़ार का पहला हमला कमर और पैर पर होता है। गाजर–मूली की भांति उसे काट दिया जाता है। कन्या तड़पने लगती है. फिर जब उसकी खोपड़ी को तोड़ा जाता है तो एक मूक चीख के साथ उसका प्राणांत हो जाता है। यह दृश्य ह्रदय को दहला देता है। इस निर्मम कृत्य से ऐसा लगता है, मानों कलियुग की क्रूर हवा से मां के दिल में करुणा का दरिया सूख गया है। तभी तो दिन–प्रतिदिन कन्या भ्रूण हत्याओं की संख्या बढ़ रही है। यह भ्रूण हत्या का सिलसिला इसी रूप में चलता रहा तो भारतीय जनगणना में कन्याओं की घटती संख्या से भारी असंतुलन पैदा हो जाएगा। यदि बदलाव नहीं आया तो आने वाले कुछ वर्षों में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि विवाह योग्य लड़कों के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी। भगवान महावीर ने कहा है, जिस हिंसा के बिना हमारा जीवन चल सकता है, उसकी हिंसा पाप है, अपराध है। या एक व्यक्ति विशेष की क्रूरता है। हमें इसे प्रश्रय नहीं देना चाहिए। प्रकृति की ओर से पर्यावरणीय अन्याय चलता है जिसके तहत एक बड़ा जीव, छोटे जीव को वध कर खा जाता है। किन्तु जब एक मनुष्य, दूसरे मनुश्य का अकारण वध करने लगे तो ऐसे मनुष्य को दानवी प्रवृति का कहा जाता है।

समाज में जिस प्रकार जघन्य अपराध कन्या भ्रूण हत्या अपराध बढ़ता चला जा रहा है। इसके बहुत कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण तो यह है कि, बेटा, श्मशान तक साथ चलेगा, मुखबाती देगा। तब शास्त्रों के अनुसार, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगीय अन्यथा मेरी आत्मा स्वर्ग न जाकर, इस मृत्यु लोक में ही, मृत्युपरांत भटकती रह जायेगी। मेरे नाम को आगे, बेटी कोख से जन्मी संतान नहीं ले जा सकती। इसे तो बेटे का बेटा ही ले जा सकता है अर्थात मरणोपरांत भी हमें जिंदा कोई रख सकता है, तो वह बेटा ही रखेगा। बेटी का क्या, भूखा

रहकर, रात जागकर पढ़ाओ–लिखाओ, बड़ा करो : जब बारी आती, दूसरों को सुख देने की, तब दूसरे के घर चली जाती है। इतना ही नहीं, जाते–जाते जीवन भर की जमा पूँजी भी लेती चली जाती है। इसलिए यहाँ तो, हमारा तप और तपस्या वृथा ही चली जाती है। ऐसे में बेटी को दुनिया में आने से ही रोक दें। इसके बावजूद अगर आ भी जाये तो, छोटे पेड़ को उखाड़ने में क्या लगता है ?

यही पेड़ जब बड़ा हो जायगा, फ़िर उसे उखाड़ना आसान नहीं होगा। इस सोच को मंजिल तक पहुँचाने में, हमारा आज का विग्यान, सहयोगी बना हुआ है। परिणाम स्वरूप लोग शिशु का लिंग स्वरूप परीक्षण कर, बेटी से छुटकारा पाने के लिए भ्रूण हत्या कर रहे हैं। भगवान बुद्ध, महात्मा गाँधी जैसे नायकों के अहिंसा प्रधान देश में हिंसा हो रही है। भारत में आज से नहीं, लगभग दो दशकों पहले ही भ्रूण हत्या की शुरूआत हो गई है। जनम लेने जा रहे बच्चों में किसी प्रकार की विकृति हो, जिससे शिशु दुनिया में आकर मानसिक विकृति या शारिरिक विकृतियाँ भोगे, वैसी हालत में उस शिशु को दुनिया में लाने या न लाने के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन दुनिया में, आ रही संतान बेटी है, उसकी हत्या पाप है, अपराध है।

कन्या भ्रूण हत्या को भारी भरकम दहेज से भी जोड़कर देखना होता है। बेटी के जनमने के साथ ही माँ–बाप को दहेज की चिंता सताने लगती है। कारण आजकल के जमाने में बेटी के लिए घर–वर खोजने से पहले, पैसे पास में कितने हैंय उसके आधार पर वर ढूँढ़ा जाता है, क्योंकि वर यहाँ विकता है। उसकी बोली लगाई जाती है। कभी–कभी तो दहेज के पैसे, बेटी के पिता, अपना घर–बार गिरवी रखकर महाजन से सूद पर उठा लेते हैं। इन पैसों को न लौटा पाने की सूरत में परिवार सहित आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। दहेज की परम्परा, अनपढ़ गंवार तक, या गरीब तबके तक सीमित नहीं है। यह तो बड़े–बड़े अमीरों में भी है। फ़र्क बस इतना रहता है, गरीब का दहेज, अमीरों के अंगोछे के दाम के बराबर होता है।

महिलाओं के कल्याण के लिए सक्रिय कार्य–कर्ताओं का कहना है कि, इस दहेज रूपी अभिषाप से हमारा समाज तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक दहेज प्रथा का मुकाबला सख्त कानून द्वारा नहीं किया जायगा। अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन का कहना है, कि पिछले प्रत्येक बीता साल से मौजूदा साल में भ्रूण हत्या अधिक हो रही है। इस बढ़ती भ्रूण हत्या के लिए केवल पुरुष को दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। आजकल तो पढ़ी– लिखी महिलाएँ स्वयं भी क्लिनिक में जाकर लिंग टेस्ट करवाती हैं। अगर पहले बेटी है और दूसरी आने वाली संतान भी कन्या है, तब खुद ही डाक्टर से कहती है, हमें इसे खतम कराना है। फ़िर डाक्टर को भारी भरकम पैसे का लोभ देकर कन्या भ्रूण हत्या करवाती है। इतना ही नहीं, वही कन्या बहू बनकर जब घर में आती है, तब सास आशीष स्वरूप "पूतो फ़लो, दूधो नहाओ' का आशीर्वाद देती है। बहू जब बेटा जनम देती है, तब सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मगर बेटी जनम के समाचार से अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि, औरत का दुश्मन, एक औरत भी होती है। एक आँकड़े के मुताबिक औरतों में

अगर बेटे–बेटी की बुरी प्रतिशत कम हो जायगी। लेकिन यह सिलसिला अगर दोनों ही तरफ़ से समान रूप से चलता रहा, तब एक दिन, दुनिया को बनाने वाली, नारी जो स्वयं एक प्रकृ ति हैय स्त्री और पुरुष, दोनों का जड़, मूल नश्ट हो जायगा। दुनिया मनुष्यहीन हो जायगी।

हमारे देश की यह एक अजीब विडंबना है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद समाज में कन्या–भ्रूण हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। समाज में लड़कियों की इतनी अवहेलना, इतना तिरस्कार चिंताजनक और अमानवीय है। जिस देश में स्त्री के त्याग और ममता की दुहाई दी जाती हो, उसी देश में कन्या के आगमन पर पूरे परिवार में मायूसी और शोक छा जाना बहुत बड़ी विडंबना है। आज भी शहरों के मुकाबले गांव में दकियानूसी विचारधारा वाले लोग बेटों को ही सबसे ज्यादा तव्वजो देते हैं, लेकिन करुणामयी मां का भी यह कर्तव्य है कि वह समाज के दबाव में आकर लड़की और लड़का में फर्क न करे। दोनों को समान स्नेह और प्यार दे। दोनों के विकास में बराबर दिलचस्पी ले। बालक–बालिका दोनों प्यार के बराबर अधिकारी हैं। इनके साथ किसी भी तरह का भेद करना सृष्टि के साथ खिलवाड़ होगा।

साइंस व टेक्नॉलोजी ने कन्या–वध की सीमित समस्या को, अल्ट्रासाउंड तकनीक द्वारा भ्रूण –लिंग की जानकारी देकर, समाज में कन्या भ्रूण –हत्या को व्यापक बना दिया है। दुख की बात है कि शिक्षित तथा आर्थिक स्तर पर सुखी–सम्पन्न वर्ग में यह अतिनिन्दनीय काम अपनी जड़ें तेजी से फैलाता जा रहा है। 1995 में बने जन्म पूर्व नैदानिक अधिनियम नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट 1995 के मुताबिक बच्चे के लिंग का पता लगाना गैर कानूनी है। इसके बावजूद इसका उल्लंघन सबसे अधिक होता है. अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन या अन्य तकनीक से गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन और जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग परीक्षण करना, करवाना, सहयोग देना, विज्ञापन करना कानूनी अपराध है।

लेकिन यह स्त्री–विरोधी नजरिया किसी भी रूप में गरीब परिवारों तक ही सीमित नहीं है। भेदभाव के पीछे सांस्कृतिक मान्यताओं एवं सामाजिक नियमों का अधिक हाथ होता है। यदि इस प्रथा को बन्द करनी है तो इन नियमों को ही चुनौती देनी होगी.कन्या भ्रूण हत्या में पिता और समाज की भागीदारी से ज्यादा चिंता का विषय है इसमें मां की भी भागीदारी, एक मां जो खुद पहले कभी स्त्री होती है, वह कैसे अपने ही अस्तितव को नष्ट कर सकती है और यह भी तब जब वह जानती हो कि वह लड़की भी उसी का अंश है। औरत ही औरत के ऊपर होने वाले अत्याचार की जड़ होती है यह कथन पूरी तरह से गलत भी नहीं है। घर में सास द्वारा बहू पर अत्याचार, गर्भ में मां द्वारा बेटी की हत्या और ऐसे ही कई चरण हैं जहां महिलाओं की स्थिति ही शक के घेरे में आ जाती है। औरतों पर पारिवारिक दबाव को भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

भारतीय समाज हमेशा से व्यक्तिवादी रहा है। व्यक्ति पूजा कर कभी हम उसे भगवान बना कर पूजते है और कभी राक्षस मान कर मार डालते है। व्यवस्था इतनी लचर है कि इन भावनाओ की आड़ में किये गए अपराधों के अपराधी हमेशा बच निकलते है। दूसरी तरफ पश्चिम का व्यवस्था वादी चलन है जहाँ व्यवस्था को व्यक्ति से ऊपर रखने का प्रयास किया जाता है। असाधारण स्तिथियों में भी नियमों को अहमियत दी जाती है भावनाओ/व्यक्तियों को नहीं।

असल में ज्यादातर लोगों के लिए एक लड़की बच्ची का होना मतलब बिना बुलाए परेशानियों का आना है। ये ही कारण है कि बालिका को शिक्षा के खर्च के अलावा अन्य रूप में भी एक बोझ मन जाता है। माता पिता को लड़कियों की षादी में दहेज को देने के लिए अपनी बचत को निवेश करना पढता है। इसके अलावा, ज्यादातर लोगों को लगता है कि लड़कियों उनके परिवार के लिए कुछ भी अच्छा नही करती है क्योंकि उनको शादी कर ही लेनी है। ये ही कारण है कि हमारा समाज लड़कों के पक्ष में सोचता है कि उनके परिवार का भविष्य एक नर बच्चे के हाथों में अधिक सुरक्षित है।

लैंगिक समानता और विभिन्न कानूनों के प्रवर्तन के शोर के बीच, महिला शिशुओं के भ्रूण को कचरे में फेंक दिया जाता है या उन को कोख में मार दिया जाता हैं। इसी को भ्रूण हत्या कहा जाता है। जो कि एक लड़की भ्रूण के रूप में गर्भपात करने का कर्म है। अगर आप सोचते है कि यह सब अशिक्षित या गरीब परिवारों के भीतर ही हो रहा है तो आँकड़े आपको सुनिश्चित तौर पर आश्चर्यचकित कर देंगे। यहां तक कि शिक्षित और समृद्ध परिवार भी। क्योंकि सभी एक लड़का होने की इच्छा के कारण मां के पेट में लड़की बच्चे को मारने के लिए जाते है। क्योंकि यहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास को सभी गलत कारणों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग करना जो कि मानव शरीर में खामियों को निर्धारित करने के लिए आविष्कार किया गया था। उसको लोग बढ़ते भ्रूण के लिंग का पता लगाने में लगा रहें है। बहुत सारे माता पिता लिंग का परीक्षण करवाते है और अगर यह एक लड़की है तो इस मामले में गर्भपात करा देते हैं ।

लड़की, कन्या भ्रूण को कैसे बचाना चाहिए?

अगर कन्या भ्रूण हत्या इस दर से बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जब ग्रह पर कोई भी लड़की नही बचेगी। लड़कियों के बिना इस दुनिया की कल्पना करो। आपको क्या लगता है कि यह दुनिया मौजूद रहेगी? निश्चित रूप से नहीं। लिंग असमानता समाप्त हो जानी चाहिए। हमे कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगानी होगी क्योंकि यह सिर्फ महिलाओं के ही नही। लेकिन मानवता के खिलाफ एक अपराध भी है। लेकिन परिवर्तन रातों रात नहीं आएगा। इस में समय लगेगा और हम में से हर एक को ईमानदारी से प्रयास करना होगा। अगर हम निर्धारित करते हैं। तो हम नीचे दिए गए तरीको की पालना करते हुए बालिकाओं को बचा सकते है : –

1. लोगों को बालिका की हत्या के क्रूर परभाओं के बारे में शिक्षित किया जाना है।

2. कानून सख्त बनाया जाना चाहिए और लिंग निर्धारण की प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।

3. लिंग निर्धारण का समर्थन करने वाले डॉक्टरों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाना चाहिए।

4. लिंग समानता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. लड़का है या लड़की, दोनों को समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए।

5. लड़कियों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के लिए कड़ी हो सके।

यह योग करने के लिए कह सकते हैं कि अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते। तो हम ने निश्चित रूप से इस को लेने का कोई हक़ नही है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ाई जीती नहीं जा सकती जब तक हम सब एक साथ काम नही करेंगे। आप यह नहीं कर रहे हो, लेकिन आप को दूसरों को भी इस अपराध को नही करने देना चाहिए। अगर आप किसी को भी, अपने पड़ोस में, मित्र मंडली में, कन्या भ्रूण हत्या के पक्ष में देखते है। तो उस बात के लिए आवाज उठानी होगी। ऐसे मामले की रिपोर्ट करें। ताकि एक जीवन बचाया जा सकता है। अगर हम में से प्रत्येक इस कर्तव्य को पूरा करता है और एक जीवन बचाता है। तो हम एक साथ सैकड़ों जीवन बचा सकते है।

भारत में लिंग अनुपात

- 1000 / 972 (प्रति एक हजार (1000) पुरुशों पर स्त्रियों की संख्या)– जनगणना, 1901
- 1000 / 933 (प्रति एक हजार (1000) पुरुशों पर स्त्रियों की संख्या)– जनगणना, 2001

इस परंपरा के वाहक अशिक्षित व निम्न व मध्यम वर्ग ही नहीं है बल्कि उच्च व शिक्षित समाज भी है। भारत के सबसे समृद राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में लिंगानुपात सबसे कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार एक हजार बालकों पर बालिकाओं की संख्या पंजाब में 798, हरियाणा में 819 और गुजरात में 883 है। स्त्री अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को भी वे परिवार के लिए हंस कर सहन करती हैं। यह वास्तव में विडंबना है कि हमारे देश के सबसे समृद राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में लिंगानुपात सबसे कम है। बालिका भूण हत्या की प्रवृत्ति सबसे अधिक अमानवीय असख्य और घृणित कार्य है। पितृ सत्तात्मक मानसिकता और बालकों को वरीयता दिया जाना ऐसी मूल्यहीनता है, जिसे कुछ चिकित्सक लिंग निर्धारण परीक्षण जैसी सेवा देकर बढावा दे रहे हैं। यह एक चिंताजनक विषय हैं। फिर देश के कुछ समृध राज्यों में बालिका भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति अधिक पाई जा रही है। देश की जनगणना–2001 के अनुसार एक हजार बालकों में बालिकाओं की संख्या पंजाब में 798, हरियाणा में 819 और गुजरात में 883 है, जो एक चिंता का विषय है। इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। कुछ अन्य राज्यों ने अपने यहां इस घृणित प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया और इसे रोकने के लिए अनेक प्रभावकारी कदम उठाए जैसे गुजरात में डीकरी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यह कार्य केवल सरकार नहीं कर सकती है। बालिका बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी बहुत ही जरूरी है। देश में पिछले चार दशकों से सात साल से कम आयु के बच्चों के लिंग अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 1981 में एक हजार बालकों के पीछे 962 बालिकाएं थीं। वर्श 2001 में यह अनुपात घटकर 927 हो गया, जो एक चिंता का विषय है। यह इस बात का संकेत है कि हमारी आर्थिक समृद्धि और शिक्षा के बढते स्तर का इस समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है। वर्तमान समय में इस समस्या को

दूर करने के लिए सामाजिक जागरूकता बढाने के लिए साथ–साथ प्रसव से पूर्व तकनीकी जांच अधिनियम को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। जीवन बचाने वाली आधुनिक प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग रोकने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने पिछले वर्ष महात्मा गांधी की 138वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बालिका बचाओ योजना (सेव द गर्ल चाइल्ड) को लांच किया था। राष्ट्रपति ने इस बात पर अफसोस जताया था कि लडकियों को लडकों के समान महत्व नहीं मिलता। लडका–लडकी में भेदभाव हमारे जीवन मूल्यों में आई खामियों को दर्शाता है। उन्नत कहलाने वाले राज्यों में ही नहीं बल्कि प्रगतिशील समाजों में भी लिंगानुपात की स्थिति चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में सैक्स रैशो में सुधाार और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अनूठी स्कीम तैयार की है। इसके तहत कोख में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करवा उसकी हत्या करने वाले लोगों के बारे में जानकारी देने वाले को 10 हजार रुपए की नकद इनाम देने की घोषणा की गई है। प्रत्येक प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को ऐसा सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। प्रसूति पूर्व जांच तकनीक अधिनियम 1994 को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निजी क्लीनिक्स का औचक निरीक्षण व उन पर अगर नजर रखने की जरूरत है। भ्रूण हत्या या परीक्षण करने वालों के क्लीनिक सील किए जाने या जुर्माना किए जाने का प्रावधान की जरूरत है। फिलहाल इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत पहली कन्या के जन्म के बाद स्थाई परिवार नियोजन अपनाने वाले माता–पिता को 25 हजार रुपए तथा दूसरी कन्या के बाद स्थाई परिवार नियोजन अपनाने माता–पिता को 20 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। बालिकों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध देष के प्रत्येक नागरिक को आगे आने की जरूरत है। बालिकाओं के सषक्तिकरण में हर प्रकार का सहयोग देने की जरूरत है। इस काम की षुरूआत घर से होनी चाहिए।

कन्या भ्रूण हत्या पर क़ानून

प्रसवार्थ निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियम व निवारण) अधिनियम, 1944

भ्रूण का लिंग जाँचः–

भारत सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम के उद्देश्य से प्रसव पूर्व निदान तकनीक के लिए 1994 में एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के अनुसार भ्रूण हत्या व लिंग अनुपात के बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए कुछ नियम लागू किए हैं, जो कि निम्न अनुसार हैं :

- गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जाँच करना या करवाना।
- शब्दों या इशारों से गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में बताना या मालूम करना।
- गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जाँच कराने का विज्ञापन देना।
- गर्भवती महिला को उसके गर्भ में पल रहे बच्चें के लिंग के बारे में जानने के लिए उकसाना गैर कानूनी है।

- कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाएँ बिना प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पी.एन.डी.टी.) अर्थात अल्ट्रासाउंड इत्यादि मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकता।
- जाँच केंद्र के मुख्य स्थान पर यह लिखवाना अनिवार्य है कि यहाँ पर भ्रूण के लिंग (सैक्स) की जाँच नहीं की जाती, यह कानूनी अपराध है।
- कोई भी व्यक्ति अपने घर पर भ्रूण के लिंग की जाँच के लिए किसी भी तकनीक का प्रयोग नहीं करेगा व इसके साथ ही कोई व्यक्ति लिंग जाँचने के लिए मशीनों का प्रयोग नहीं करेगा।
- गर्भवती महिला को उसके परिजनों या अन्य द्वारा लिंग जाँचने के लिए प्रेरित करना आदि भ्रूण हत्या को बढ़ावा देने वाली अनेक बातें इस एक्ट में शामिल की गई हैं।
- उक्त अधिनियम के तहत पहली बार पकड़े जाने पर तीन वर्ष की कैद व पचास हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- दूसरी बार पकड़े जाने पर पाँच वर्ष कैद व एक लाख रूपये का जुर्माना हो सकता है।
- लिंग जाँच करने वाले क्लीनिक का रजिस्टेशन रद कर दिया जाता है।

प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का वित्तिनयमन :–

इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आनुवंशिक सलाह केन्द्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं, आनुवंशिक क्लीनिकों और इमेजिंग सैंटरों में जहां गर्भधारणपूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक से संचालन की व्यवस्था है, वहां जन्म पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल निम्न लिखित विकारों की पहचान के लिए ही किया जा सकता है:–

1. गणसूत्र संबंधी विकृति
2. आनुवंशिक उपापचय रोग
3. रक्त वर्णिका संबंधी रोग
4. लिंग संबंधी आनुवंशिक रोग
5. जन्म जात विकृतियां
6. केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित अन्य असमानताएँ एवं रोग।

इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी व्यवस्था है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग या संचालन के लिए चिकित्सक निम्नलिखित शर्तों को भली प्रकार जांच कर लेवे की गर्भवती महिला के भ्रूण की जाँच की जाने योग्य है अथवा नहीं :

1. गर्भवती स्त्री की उम्र 35 वर्ष से अधिक है।
2. गर्भवती स्त्री के दो या दो से अधिक गर्भपात या गर्भस्त्राव हो चुके हैं।
3. गर्भवती स्त्री नशीली दवा, संक्रमण या रसायनों जैसे सषक्त विकलांगता पदार्थों के संसर्ग में रही है।
4. गर्भवती स्त्री या उसके पति का मानसिक मंदता या संस्तंभता जैसे किसी शारीरिक विकार या अन्य किसी आनुवंषिक रोग का पारिवारिक इतिहास है।

5. केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसुचित कोई अन्य अवस्था है।

पी.एन.डी.टी.एक्टे 1994 के नजर से अपराधी कौनः

- प्रसव पूर्व और प्रसव धारण पूर्व लिंग चयन जिसमें प्रयोग का तरीका, सलाह और कोई भी उपबंध और जिससे यह सुनिश्चित होता हो कि लड़के के जन्म की संभावनाओं को बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाएँ और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा और पूर्व गर्भधारण विधियाँ, प्रयोग जैसे कि एरिक्शन विधि का प्रयोग इस चिकित्सा के द्वारा लड़के के जन्म की संभावना का पता लगता है, शामिल हैं।
- अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मषीन या अन्य तकनीक से गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन और जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग परीक्षण करना, करवाना, सहयोग देना, विज्ञापन करना कानूनी अपराध है।

गर्भपात का कानून

(गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971)

गर्भवती स्त्री कानूनी तौर पर गर्भपात केवल निम्नलिखित स्थितियों में करवा सकती है :

1. जब गर्भ की वजह से महिला की जान को खतरा हो ।

2. महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो।

3. गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा हो।

4. बच्चा गंभीर रूप से विकलांग या अपाहिज पैदा हो सकता हो।

5. महिला या पुरुष द्वारा अपनाया गया कोई भी परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो।

यदि इनमें से कोई भी स्थिति मौजूद हो तो गर्भवती स्त्री एक डॉक्टर की सलाह से बारह हफ्तों तक गर्भपात करवा सकती है। बारह हफ्ते से ज्यादा तक बीस हफ्ते (पाँच महीने) से कम गर्भ को गिरवाने के लिए दो डॉक्टर की सलाह लेना जरुरी है। बीस हफ्तों के बाद गर्भपात नहीं करवाया जा सकता है।

- गर्भवती स्त्री से जबर्दस्ती गर्भपात करवाना अपराध है।
- गर्भपात केवल सरकारी अस्पताल या निजी चिकित्सा केंद्र जहां पर फार्म बी लगा हो, में सिर्फ रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर द्वारा ही करवाया जा सकता है।

धारा 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करने के बारे में कहा गया है कि इस प्रकार से गर्भपात करवाने वाले को आजीवन कारावास या जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।

धारा 314 के अंतर्गत बताया गया है कि गर्भपात कारित करने के आषय से किये गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु में दस वर्ष का कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है और यदि इस प्रकार का गर्भपात स्त्री की सहमति के बिना किया गया है तो कारावास आजीवन का होगा।

धारा 315 के अंतर्गत बताया गया है कि शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या

जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य से सम्बन्धित यदि कोई अपराध होता है, तो इस प्रकार के कार्य करने वाले को दस वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

हाल ही में प्रकाशित केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2001 से 2005 के अंतराल में करीब 6,82,000 कन्या भ्रूण हत्याएं हुई हैं। इस लिहाज से देखें तो इन चार सालों में रोजाना 1800 से 1900 कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही दफ्न कर दिया गया। समाज को रूढ़िवादिता में जीने की सही तस्वीर दिखाने के लिए सीएसओ की यह रिपोर्ट पर्याप्त है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद समाज में कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। गैरकानूनी और छुपे तौर पर कुछ इलाकों में तो जिस तादाद में कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, उस पर सीएसओ की रिपोर्ट केंद्र सरकार के दावों को सिरे से खारिज करती है।

महिलाओं से जुड़ी समस्या पर काम करने वाली संस्था सेंटर फार सोशल रिसर्च इस समस्या से काफी चिंतित है। संस्था काफी समय से सरकार से इस बीमारी को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग करती आ रही है। उधर सरकारी तर्क में कहा गया है कि 0.6 साल के बच्चों का लिंग अनुपात सिर्फ कन्या भ्रूण के गर्भपात के कारण ही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि इसकी वजह कन्या मृत्यु दर का अधिक होना भी है। बच्चियों की देखभाल ठीक तरीके से न होने के कारण उनकी मृत्यु दर अधिक है। इसलिए जन्म के समय मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।

1981 में 0.6 साल के बच्चों का लिंग अनुपात 962 था, जो 1991 में घटकर 945 हो गया और 2001 में यह 927 रह गया है। उल्लेखनीय है कि 1995 में बने जन्म पूर्व नैदानिक अधिनियम नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट 1995 के मुताबिक बच्चे के लिंग का पता लगाना गैर कानूनी है। इसके बावजूद इसका उल्लंघन सबसे अधिक होता है। सरकार ने 2011 व 12 तक बच्चों का लिंग अनुपात 935 और 2016–17 तक इसे बढ़ा कर 950 करने का लक्ष्य रखा है। देश के 328 जिलों में बच्चों का लिंग अनुपात 950 से कम है। जाहिर है, हमारे देश में बेटे के मोह के चलते हर साल लाखों बच्चियों की इस दुनिया में आने से पहले ही हत्या कर दी जाती है और सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा है।

समाज में लड़कियों की इतनी अवहेलना, इतना तिरस्कार चिंताजनक और अमानवीय है। जिस देश में स्त्री के त्याग और ममता की दुहाई दी जाती हो, उसी देश में कन्या के आगमन पर पूरे परिवार में मायूसी और शोक छा जाना बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे समाज के लोगों में पुत्र की बढ़ती लालसा और लगातार घटता स्त्री–पुरुष अनुपात समाजशास्त्रियों, जनसंख्या विशेषज्ञों और योजनाकारों के लिए चिंता का विषय बन गया है।

यूनिसेफ के अनुसार 10 प्रतिशत महिलाएं विश्व की जनसंख्या से लुप्त हो चुकी हैं, जो गहन चिंता का विषय है। स्त्रियों के इस विलोपन के पीछे कन्या भ्रूण हत्या ही मुख्य कारण है। संकीर्ण मानसिकता और समाज में कायम अंधविश्वास के कारण लोग बेटा और बेटी में भेद

करते हैं। प्रचलित रीति–रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था के कारण भी बेटा और बेटी के प्रति लोगों की सोच विकृत हुई है। समाज में ज्यादातर मां–बाप सोचते हैं कि बेटा तो जीवन भर उनके साथ रहेगा और बुढ़ापे में उनकी लाठी बनेगा। समाज में वंश परंपरा का पोषक लड़कों को ही माना जाता है। इसी क्रम में यह सुखद संदेश देना भी ज़रूरी है कि आज कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए, देश का एक ज़िला ऐसा भी है, जहां के युवा वर्ग ने एक खास अभियान चला रखा है। सोनभद्र ज़िले के राबर्ट्सगंज ब्लॉक के तीन गांवों मझुवी, भवानीपुर एवं गइर्डगढ़ के 60 युवाओं ने एक मंडली तैयार की है, जो अपने गांव में होने वाली किसी भी धर्म–जाति की कन्या की शादी में टेंट से लेकर बर्तन तक का काम खुद संभालती है। इस मंडली ने बड़े–बड़े दानियों से दान लेकर नहीं, बल्कि खुद अपने संसाधनों से शादी–विवाह में काम आने वाले तमाम छोटे–बड़े साजोसामान जुटाए हैं। मंडली से जुड़े युवा लड़की के घर वालों को आर्थिक मदद देने के साथ–साथ मिनटों में हर सामान की व्यवस्था कर देते हैं। 2002 में बने इस संगठन से लाभांवित होने के बाद लोगों की भावनाएं बदली हैं। यूं तो बेटी का विवाह एक सामाजिक परंपरा है, लेकिन अगर ऐसे ही बेटी वालों की मदद की जाने लगे तो कन्या भ्रूण हत्या जैसी विकृत सोच रखने वाले लोगों के भी विचार बदलेंगे। बहरहाल, यह समझ में नहीं आता कि आज हम इंसान बनना क्यों भूलते जा रहे हैं। जो लोग भ्रूण हत्या के बारे में सोचते हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि बेटियों से घर–आंगन में रौनक है। ममता, प्रेम, त्याग, रक्षाबंधन और न जाने कितनी परंपराएं उन्हीं बेटियों के चलते जीवित हैं। इस स्थिति को देखकर कह सकते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या पाप ही नहीं, देष और समाज के लिए अभिशाप भी है। इसे कड़ाई के साथ रोकने की ज़रूरत है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- *Natani, Prakash Narayan Natani ''कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं प्रति घरेंलू हिंसा ''Publisher Book Enclave Publishers 2007 .*
- *संस्था सेंटर फार सोशल रिसर्च की रिपोर्ट।*
- *केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट के वर्ष 2001 से 2005*
- *यूनिसेफ रिपोर्ट*
- *http://www.swargvibha.in/aalekh/all_aalekh/kanya_bhrunhatya.html*
- *https://hi.wikipedia.org/s/2pt*
- *http://xn–j2beko0a2dfo5c.com/article/current-affairs/%*
- *http://www.chauthiduniya.com/2010/12/kayna-bhrun-hatya-ek-badi-samashya.html*
- *Sinha Mridula '' **Mridula Sinha Ki Lokpriya Kahaniyan**'' Prabhat Prakashan 4/19, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002, INDIA.*